मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 8, 1925)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 23 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में 1 प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 15 प्रश्नों के उत्तर तथा 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 14 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है जिसके लिए यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 10 सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा जायेगा उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(1) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य ने रतलाम जिले में कृषकों को अंगूर फसल हेतु अनुदान राशि का भुगतान न किये जाने,

(2) श्री राजेश पटेल, सदस्य ने जिला रायसेन के विकासखंड बाड़ी बरैली में संचालित स्कूलों में शिक्षा एवं फर्नीचर की कमी होने,

(3) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी वि.स. क्षेत्र के जनपद पंचायत सुहागपुर में चरनोई भूमि पर अतिक्रमण होने,

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ला, सदस्य ने रीवा में वाहन प्रदूषण रोकने के लिये वायपास सड़क का निर्माण किये जाने,

(5) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा संभाग के अतिरिक्त कमिश्नर के पद पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने,

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले की प्राथमिक शालाओं में छात्रों को पका हुआ भोजन न दिये जाने,

(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने जिला नरसिंहपुर के गाडरवारा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने, तथा

(8) श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने जबलपुर तथा प्रदेश के अन्य नगरों में विद्युत मंडल द्वारा कमर्शियल दर से बिल वसूले जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं

(9) पंडित रमेश दुबे, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र चौरई के ग्राम सांक, सिहोरामल (झिलमिली) तीसरी संबलवाड़ा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने,

(10) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने सुमावली विधान सभा क्षेत्र में विद्युत तारों की हो रही चोरियां,

(11) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों का व्यवस्थापन ठीक से न किये जाने, तथा

(12) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने गिर्द विधान सभा क्षेत्र में विद्युत के तार बार-बार चोरी होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(क) विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 2002-2003, तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्राप्तियां) एवं (सिविल)

पटल पर रखे.

(2) श्री कैलाश चावला , वाणिज्यिक कर मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा-619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (19.01.2002-18.01.2003),

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 31 मार्च,1999 को समाप्त वर्ष के लिये,

(4) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा-56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003, तथा

(5) श्री ओम प्रकाश धुर्वे, समाज कल्याण मंत्री ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 56 सन् 2000) की धारा-68 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-62-2002-छब्बीस-2, दिनांक 15 जुलाई, 2004,

पटल पर रखे.

(श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्रस्तुत नहीं हो सकी)

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा

(2) श्री रामलखन शर्मा

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता

श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री घनश्याम सिंह
(5) श्री उमाशंकर गुप्ता

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रस्ताव किया कि खण्ड-2 में इस प्रकार संशोधन किया जाय.

धारा 3 की उपधारा (2) में -

(1) विद्यमान शब्दावली "उसकी कैप्टिव पावर इकाई या 10 किलोवाट क्षमता से अधिक के" के स्थान पर शब्दावली" उसकी 10 किलोवाट क्षमता से अधिक की कैप्टिव पावर इकाई या" प्रतिस्थापित की जाए, तथा

(2) विद्यमान प्रथम परन्तुक के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(एक) भारत सरकार द्वारा उपमुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा,"

संशोधन स्वीकृत हुआ.

यथासंशोधित खण्ड-2 विधेयक का अंग बना

खण्ड 3 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(12.21 बजे से 3.03 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

5. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया कि वर्ष 2004-2005 का जो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, संविधान की धारा 112 में कहा गया है कि साल का एक वित्तीय बजट होगा।

यह इस विधान सभा का दूसरा सत्र है इसमें वित्तीय विवरण प्रस्तुत हो रहा है। आगे इस वित्तीय विवरण में विभागवार चर्चा भी होनी चाहिए, उसके लिए न समय है, न कार्यक्रम है। आज वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी बल्कि पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाना था क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत करने जा रहे है उसमें माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे और केवल इसमें एक दिन की साधारण चर्चा हो जाएगी । इसलिए लोकतांत्रिक परम्पराओं, मान्यताओं और संविधान के विपरीत यह वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का तरीका अख्तियार किया गया है, और इसे रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं है लेकिन मेरा इरादा यह है कि जो मान्य परम्परा रही है उसका पालन होना चाहिए। कृपया इस पर व्यवस्था दें।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय, ससदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किये।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य श्री रामलखन शर्मा की आपत्ति के संबंध में व्यवस्था दी गई कि यह मैं भारत के संविधान में से पढ़ रहा हूं, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया नियम-202 वार्षिक वित्तीय विवरण--(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण"कहा गया है. यह संविधान की बाध्यता है वार्षिक वित्तीय विवरण रखना।

श्री सुन्दरलाल जी पटवा जब मुख्य मंत्री थे, तब यह रखा गया था "माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 1991-1992 के लिये मध्यप्रदेश शासन का वार्षिक वित्तीय विवरण में माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं" और यह श्री मुशरान साहब जब वित्त मंत्री थे तब रखा था "माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष मध्यप्रदेश शासन का वार्षिक वित्तीय विवरण 94-95 प्रस्तुत कर रहा हूं" इसके साथ ही मैं सदन के माननीय सदस्यों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति तथा विगत एक वर्ष के प्रमुख क्रियाकलापों के संबंध में अवगत कराऊंगा।

यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है. इस सदन में इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है।

माननीय सदस्य श्री रामलखन शर्मा द्वारा आज जो वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पत्रक को प्रस्तुत करने पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है उसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वर्ष 2004-2005 के वित्तीय विवरण हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार सदन में प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। इसे माननीय वित्त मंत्री जी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पूर्व भी कई बार इस प्रकार से वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं और सदन में इस प्रकार की परम्परा रही है तथा इसकी अनुमति भी प्रदान की गई है।

अत: माननीय सदस्य की इस आपत्ति को अमान्य करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को वर्ष 2004-2005 का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

6. वर्ष 2004-2005 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-2005 का वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन किया।

7. घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि वर्ष 2004-2005 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा के लिए दिनांक 3 मार्च, 2004 को 2 घण्टे का समय नियत करता हूं।

04.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2004 (फाल्गुन 13, 1925) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.